



2026:AHC:32555
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या – 2073 वर्ष 2026

अशोक कुमार और 2 अन्य
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार यादव, अतुल कुमार यादव, भोला नाथ यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 2-तहसीलदार, सोरांव, जिला प्रयागराज के समक्ष कार्यवाही शुरू की, जो वाद संख्या 1493 वर्ष 2016-18 के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध 15.03.2016 का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर 29.05.2018 को पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर किया गया।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि उपर्युक्त पुनर्स्थापना आवेदन अभी भी विचाराधीन है।
3. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुनर्स्थापना का आवेदन पिछले सात वर्षों से अधिक समय से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष विचाराधीन है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त आवेदन पर आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से और सकारात्मक रूप से निर्णय ले।
5. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2-तहसीलदार, सोरांव, जिला प्रयागराज को जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर भेज दें।

13 फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"